कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, धौलपुर राजस्थान

कार्यालय आदेश

श्रीमान निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/सा्प्र/बी–1/कनि0सहा0/2013/बैकलॉग/20–21/52–53 दिनांक 22.10.2020 के अनुक्रम में प्रशासनिक सुधार विभाग अनुभाग–3 जयपुर द्वारा लिपिक ग्रेड–द्वितीय चयनित अभ्यार्थियों को नियुक्ति दिये जाने हेतु निर्देशानुसार लिपिक ग्रेड द्वितीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा–2013 के एस0सी0/एस0टी0 बैकलोग के 385 एवं दिव्यांजन के केरि–फॉरवर्ड पदो पर चयनित 57 अभ्यार्थीयो को जिला आवंटित होने पर परामर्श कैम्प के माध्यम से विद्यालय आवंटित किए जाने हेतु दिनांक 27.10.2020 को कैम्प आयोजित किया गया, जिसमें निम्न वर्णित सूची के चयनित निम्नांकित अभ्यार्थियों को लिपिक ग्रेड द्वितीय (Junior Assistant) के पद पर राजस्थान सेवा नियम एवं राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम 1999 के प्रावधानान्तर्गत राज्य सरकार के नोटिफिकेशन क्रमांक:FD-15(1)FD Rules/2017 Jaipur Dated 30-10-2017 एवं संशोधित नोटिफिकेशन क्रमांकः F-15(15) FD Rules/2017 Jaipur Dated 09-12-2017 के अनुसार लिपिक ग्रेड द्वितीय (Junior Assistant) के पद पर रूपये 14600/– प्रतिमाह स्थाई पारिश्रमिक (फिक्स रेम्यूनेशन) पर 02 वर्ष की परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि के लिए नियुक्ति प्रदान की जाकर उनके नाम के सामने अंकित विद्यालय/कार्यालय में पदस्थापित किया जाता है। इन्हें परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि के संतोषजनक पूर्ण करने के उपरान्त लिपिक ग्रेड द्वितीय (Junior Assistant) पद की वेतन श्रंखला L–5 एवं अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे। परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में नियत पारिश्रमिक के अतिरिक्त किसी प्रकार के भत्ते एवं महंगाई भत्ता, मकान किराया, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता महंगाई वेतन (डी0पी0) विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होंगे। परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में एक कलैण्डर वर्ष में केवल 15 दिवस का आकस्मिक अवकाश देय होगा। पूर्ण कलैण्डर वर्ष से कम अवधि होने पर पूर्ण माह के आधार पर अवकाश अनुज्ञात किया जावेगा। साथ ही परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए गणना योग्य नहीं माना जावेगा एवं नवीन पेंशन योजना के अन्तर्गत नियमानुसार पेंशन अंशदान की कटौती होगी एवं अन्य सुविधाएँ एवं अन्य अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियम आदि में संशोधित प्रावधानों के अनुरूप देय होगा।

इन्हें दिनांक 12.11.2020 तक पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। इनका कार्य एवं व्यवहार संतोषजनक नहीं होने पर सेवा समाप्ति का अधिकार नियुक्तिकर्ता के पास सुरक्षित होगा। अंतिम दिनांक:12.11.2020 तक कार्यग्रहण नहीं करने की स्थिति में यह नियुक्त आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा तथा नियुक्त निरस्त की जाकर मूल आवेदन पत्र निदेशालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु लौटा दिया जावेगा। उक्त नियुक्ति पर आशार्थियों के कार्यग्रहण करवाए जाने से पूर्व सम्बन्धित संस्था प्रधान निम्न बिन्दुओं/निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करेंगे।

1. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी का सम्बन्धित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र सम्बन्धी सदाचरण रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। इसके अभाव में किसी भी अभ्यर्थी को कार्यग्रहण नहीं करवाया जाएगा। आचरण के पुलिस सत्यापन में अभ्यर्थी के विरूद्ध प्रतिकूल रिपोर्ट पाई जाती है तो ऐसे अभ्यर्थी को कार्यग्रहण नहीं करवाते हुए इस कार्यलय को तत्काल तथ्यात्मक रिपोर्ट से अवगत करवाया जावे। पूर्व में राजकीय सेवा में कार्यरत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा।

2. चयनित अभ्यर्थियों के उपर्युक्त परीक्षा के मूल आवेदन पत्र उनकी निजी पत्रावली में रखे जाने हेतु इस कार्यालय से वाहक स्तर पर प्राप्त कर मूल दस्तावेजों से मिलान उपरान्त ही कार्यग्रहण करवाएँ।

3. राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताओं की वैधता सम्बन्धी जॉच विभाग स्तर पर करवाई जानी शष है। अतः जिन अभ्यर्थियो द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताएँ अर्जित की गई हैं उन्हें यह नियुक्ति राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य पाए जाने के अधीनस्थ प्रदान की जावें। अतः नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाए जाने से पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थियों 50/– रूपए के नॉन ज्यूडीशियल स्टाम पर इस आशक का शपथ–पत्र पूर्व में प्राप्त करेंगे कि इनके द्वारा राज्य से बाहर अर्जित की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध एवं मान्य नहीं पाई गई तो उन्हें प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त करने एवं उनके विरूद्ध कार्यवाही करने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। ऐसी स्थिति मे यह नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।

संस्था प्रधान इन अभ्यर्थियों की शैक्षिक योग्यता/प्रशैक्षिक योग्यता (कम्प्यूटर सम्बन्धी), आयु एवं अन्य किसी छूट (जैसे–अनुसूचित जाति/जनजाति/ओ0बी0सी0/विकलांग आदि) के सम्बन्ध में आवश्यक मूल प्रमाण–पत्र प्राप्त करके आवेदन पत्र से मिलान किया जाना सुनिश्चित करे।

लगातार–2

5. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक:F-7(1)DOP/A-II/95 Dated 08-04-2003 एवं F-7(1)कार्मिक/क–2/45/पार्ट–II Dated 20.11.2015 के अनुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात् उत्पन्न सन्तानों के फलस्वरूप कुल सन्तानों की संख्या 02 (दो) से अधिक नहीं होने सम्बन्धी आशय का आवश्यक शपथ–पत्र संलग्न निर्धारित प्रारूप में 50/– रूपए के नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।

6. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से यह शपथ–पत्र लेवें कि उनके द्वारा प्रस्तुत सूचनाएँ एवं दस्तावेज सही हैं। उनके त्रुटिपूर्ण, जाली अथवा कूट रचित पाए जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा।

7. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक: प.–7(3) कार्मिक/क–2/06 पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धूम्रपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने सम्बन्धी वचन बंधता देनी होगी।

8. अन्य पिछड़ा वर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाण–पत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिए। महिला आवेदन के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर जारी किया हुआ हो तो यह प्रमाण–पत्र मान्य नहीं है परन्तु अभ्यर्थी अपने पिता की आय के आधार पर जो विवाह के पश्चात का बना हुआ है तो मान्य होगा। उपर्युक्तानुसार अन्य पिछडा वर्ग के प्रमाण–पत्र की सुनिश्चितता आप अपने स्तर पर करने के उपरान्त ही अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को कार्यग्रहण करावें। अन्यथा स्थिति होने पर इस कार्यलय को सूचित करें। यदि कोई अभ्यर्थी क्रीमिलेयर की श्रेणी में आता है तो इस कार्यालय को सूचित करावें।

9. अभ्यर्थी के नाम/उपनाम/विवाह सम्बन्धी शपथ–पत्र/विवाह पंजीयन प्रमाण–पत्र एवं दो से अधिक संतान नहीं होने का शपथ–पत्र निर्धारित प्रारूप में कार्मिक (क–2) विभागी की अधिसूचना दिनांक 24.02.2011 एवं दिनांक 20.11.2015 की अनुपालना में पूर्ण करावें। गर्भवती महिला अभ्यर्थियों के लिए कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र दिनांक 16.08.2005 का आवश्यकतानुसार अनुसरण किया जावे।

सलंग्न:–नियुक्त आशार्थियों की सूची स01

(सियाराम मीना)
जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)
माध्यमिक शिक्षा, धौलपुर

क्रमांक: मुजिशिअ/मु/मा/धौ/संस्था–1/लिपिकग्रेड–II.2013/2020–21/3280 दिनांक:–27.10.2020

प्रतिलिपि– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. श्रीमान् निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
2. श्रीमान् संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, भरतपुर संभाग, भरतपुर।
3. श्रीमान् मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, धौलपुर।
4. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी धौलपुर/राजाखेडा
5. सम्बन्धित संस्था प्रधान/अभ्यर्थी श्री/सुश्री/श्रीमती ....
6. रक्षित पत्रावली।

27.10.2020

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)
माध्यमिक शिक्षा, धौलपुर

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा धौलपुर राजस्थान

लिपिक ग्रेड–द्वितीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2013 में चयनित कैरिफॉरवर्ड एवं एससी/एसटी बैकलाक आशार्थीयों के नियुक्ति आदेश स01

SN	Candidate ID	GAD_Cat_Detail	Merit_No.	Application no.	Roll no.	Name	Father Name	Gender	Sel. Cat.	place of posting	Allotment
1	34316	पुरूष	18694	201803271561	1383627	AMIT KUMAR BOHARA	DHARAM SINGH	Male	SC	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL KARIMPUR (211729), SAIPAU (08080510102)(DHOLPUR)	
2	34341	पुरूष	19145	201804386051	2356746	VIJENDRA SINGH	RAMKISHOR JATAV	Male	SC	GOVT. SECONDARY SCHOOL MAI (217485), BASERI (08080104301)(BASERI (SC))	
3	34346	पुरूष	19181	201805134144	1468215	HARIOM	PADAM SINGH	Male	SC	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL PIPHERA (211757), SAIPAU (08080505201)(BARI)	
4	34352	पुरूष	19281	201804984963	2017216	NARENDRA KUMAR VERMA	PRAHALAD KUMAR VERMA	Male	SC	RAMSEVAK GARG GOVT. GIRLS SECONDARY SCHOOL SARANIKHERA (211717), DHOLPUR (08080302601	
5	34414	पुरूष	21914	201805365955	2121693	PANKAJ KUMAR MEENA	GHAMAMDI LAL MEENA	Male	ST	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL RAHARAI (217511), BASERI (08080113401)(BASERI (SC))	
6	34415	पुरूष	22008	201804470718	1750758	LOKESH KUMAR MEENA	BHAMBLA RAM MEENA	Male	ST	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL JASUPURA (212419), RAJAKHERA (08080419803)(RAJAKHERA)	
7	34416	पुरूष	22088	201803912788	2162444	VIKASH KUMAR MEENA	RAJENDRA KUMAR MEENA	Male	ST	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL DHARAPURA (211805), RAJAKHERA (08080404302)(RAJAKHERA)	

8	34418	पुरुष	22143	201805027461	2222[illegible]38	SAURAV KUMAR MINA	RAMKISHOR MINA	Male	ST	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BHAISENA (211826), DHOLPUR (08080331103)(DHOLPUR)	
9	34419	पुरुष	22201	201804865630	2209527	VIJESH KUMAR	SITA RAM MEENA	Male	ST	GOVT. SECONDARY SCHOOL KOTARA (487303), DHOLPUR (08080301301)(DHOLPUR)	
10	34422	पुरुष	22362	201803422979	2125251	RAKESH KUMAR MEENA	HARPHOOL MEENA	Male	ST	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL KHUDILA BLOCK RAJAKHERA DHOLPUR (211806), RAJAKHERA	
11	34423	पुरुष	22367	201804368579	1783157	MAHENDRA KUMAR MEENA	BHAGABAN DAS MEENA	Male	ST	GOVT. SECONDARY SCHOOL BASANTPURA (226886), BASERI (08080118001)(BASERI (SC))	
12	34429	पुरुष	22463	201803077101	1694404	LOCHAN SINGH	SHESH RAM	Male	ST	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BADRIKA (211744), SAIPAU (08080509104)(DHOLPUR)	
13	34430	पुरुष	22473	201803635405	1328501	GIRDHARI LAL MEENA	PRABHATI LAL MEENAA	Male	ST	GOVT. SECONDARY SCHOOL VIRAJA (227133), BASERI (08080113702)(BASERI (SC))	

जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)
माध्यमिक,धौलपुर

27.10.2020